



किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ०प्र०, लखनऊ- 226003

निर्माण विभाग (सिविल सेक्शन)

फोन (कुलसचिव कार्यालय) : 0522-2257540 फैक्स : 0522-2257539 वेबसाइट : www.kgmcindia.edu.

पत्रांक: 3622/2017-10

दिनांक: 28/12/17

अल्पकालीन निविदा सूचना

निर्माण विभाग, सिविल सेक्शन, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कार्य हेतु ई-निविदाये आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> से दिनांक 29.12.2017 पूर्वान्ह 10.00 बजे से डाउनलोड किये जा सकते हैं। निविदा दिनांक 06.01.2018 दोपहर 12.30 बजे तक ऑनलाइन सवमित की जा सकती है, जिसको उसी दिन दिनांक 06.01.2018 को 3.30 बजे निविदा समिति द्वारा ऑनलाइन खोली जायेगी।

| क्र० सं० | कार्य का नाम | अनुमानित लागत रु० मे | धरोहर राशि (रु० मे) | कार्य पूर्ण करने की अवधि | टेण्डर मूल्य (रु० मे) |
|----------|---|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1 | P/F of Armstrong metal false ceiling and other misc. work ward at plastic surgery department. | 942008.00 | 94200.00 | 1 Month | 856.00 (Including GST @ 18%) |

नियम एवं शर्तें:-

- निविदा प्रपत्र शुल्क हेतु "बैंक ड्राफ्ट" जो वित्त अधिकारी, के०जी०एम०यू० उ०प्र०, लखनऊ को देय होगा तथा निर्धारित धरोहर राशि हेतु एफ०डी०आर०/राष्ट्रीय बचत पत्र जो वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ०प्र०, लखनऊ के पक्ष में बंधक होगी की स्कैन प्रतियां पी०डी०एफ० फाइल में ऑनलाइन निविदा के साथ संलग्न करनी होगी।
- ई-टेण्डरिंग के समय समस्त ठेकेदारों को पंजीयन प्रमाण-पत्र हैसियत प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन एवं पैन कार्ड की स्कैन प्रति संलग्न करनी होगी।
- निविदादाता का निर्माण विभाग, के०जी०एम०यू० उ०प्र०, लखनऊ में पंजीकरण होने के साथ-साथ यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ अथवा किसी भी डिजिटल सिग्निचर होना अनिवार्य है।
- किसी भी निविदा को बिना कारण बताए किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी में निहित होगा।
- प्रत्येक निविदादाता द्वारा रु० 100.00 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र निर्धारित प्रपत्र ऑनलाइन स्कैन करते हुए निविदा में लगाया जायेगा।
- पंजीकृत ठेकेदार को टेका दिये जाने के पश्चात् कभी भी यह संज्ञान में आता है कि वह ठेकेदार सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया कार्य का टेका नोटिस जारी कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा टेका निरस्त कर दिया जायेगा।
- ऑनलाइन निविदा के साथ संलग्न सभी प्रपत्र/अभिलेख/डी०डी०/एफ०डी०आर० की मूल प्रतियां निर्माण विभाग (सिविल सेक्शन) कार्यालय, के०जी०एम०यू० में दिनांक 06.01.2018 को दोपहर 12.30 बजे तक पंजीकरण डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से मे जमा कराना अनिवार्य होगा।
- जी०एस०टी० के सम्बन्ध में समय समय पर जारी शासनादेश के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- कार्य का विवरण व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस में निर्माण विभाग, के०जी०एम०यू० उ०प्र०, लखनऊ से की जा सकती है।
- सशर्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र लखनऊ होगा।

3623-31/2017-10 28/12/17


(दिनेश कुमार राज)
अधिसासी अभियन्ता